

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
सोमवार, 9 सितम्बर, 1996 / भाद्रपद, 18, 1918 शक §

संख्या : 279

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला, दिल्ली से दिनांक : 4.8.96 की निम्नलिखित सूचना दिनांक : 5.8.96 को प्राप्त हुई :-

*दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहण करते हुए मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि रा. रा. क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों श्री दोप चन्द्र बंधु, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमती ताजदार बाबर एवं श्रीमती कृष्णा तिरथ को सड़क जाम करने एवं सामान्य यातायात को रोकने से मना करने संबंधी सिविल लाईन, दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त के उचित निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण 200 महिलाओं सहित उनके 260 समर्थकों के साथ शामनाथ मार्ग, नजदीक मुख्य सचिव कार्यालय दिल्ली से हटाया गया। विधान सभा के उपरोक्त सदस्यों को दिनांक : 4.8.96 को अपराह्न 12.15 बजे, शामनाथ मार्ग, नजदीक मुख्य सचिव कार्यालय से हटाया गया और शामनाथ मार्ग की सड़क के किनारे 15 मिनट तक गिरफ्तार रखा गया और जब वे और उनके समर्थक इस बात पर सहमत हो गए कि यातायात में कोई बाधा नहीं पहुंचायेंगे और शांतिपूर्वक विसर्जित हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें अपराह्न 12.30 बजे रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, September, 09, 1996/Bhadrapud 18, 1918 (Saka)

No. 272

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 4.8.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from the Addl. Deputy Commissioner of Police, North District Delhi on 5.8.96 :-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Shri Deep Chand Bandhu, President DPCC, Smt. Tajdar Babar and Smt. Krishna Tirath, MLAs of Vidhan Sabha, Delhi be removed from the Sharnath Marg, near Chief Secretary's office, Delhi, for not obeying the reasonable directions of Asstt. Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of Traffic along with his 260 followers including 200 Ladies.

The above members of Vidhan Sabha were accordingly removed from Sharnath Marg near Chief Secretary's office at 12.15 P.M. on 4.8.96 detained at Road side of Sharnath Marg for 15 minutes and released on the same day at 12.30 P.M. after they and their followers agreed not to cause any further obstruction to traffic and to disperse peacefully."

P.N. GUPTA
SECRETARY